प्रेस – विज्ञप्ति 21.01.2020

21 जनवरी 2020, प्रातः 11:00 बजे से मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में "फेसलेस आयकर निर्धारण, खोज जब्ती और सर्वेक्षण तथा इन्सॉल्वेंसी व बैंकरप्सी कोड (**Audit Journey from True & fair to True & correct, faceless assessment and search seizure & survey and insolvency & bankruptcy code**)" विषय पर एक दिवसीय तकनीकी सत्र आयोजित किया गया।

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के **अध्यक्ष सीए मुकुल टंडन** ने सीए गिरीश आहूजा का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर समस्त जनों के मध्य अपना ज्ञान साझा किया। श्री टंडन ने आगंतुकों को मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के क्रियाकलापों से अवगत कराते हुए बताया कि चेम्बर हमेशा से ही व्यापार एवं उद्योग के संरछण एवं बढ़ावे के लिए प्रयत्शील रहा है एवं निरंतर योगदान दिया है।

कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी के अध्यक्ष सीए ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने अपने स्वागत-भाषण में कहा कि इस एक दिवसीय सेमिनार में डॉ. गिरीश आहूजा, सीए अक्षय गुप्ता, सीएस अमित गुप्ता जी ने अपने विषयों के बारे में जानकारी देंगे जिससे समस्त सदस्यों को निश्चित रूप से लाभ होगा व उन्होंने सदस्यों से सेमिनार के सम्बन्ध में और सुझावों की अपील की।

सत्र के सेमिनार **चैयरमैन सीए नवीन भार्गव** ने उद्घाटन सत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विशेषज्ञ को उचित प्रकार से सेवाएं देने के लिए सतत अपने ज्ञान वृद्धि करने का सन्देश दिया।

सत्र के की-नोट वक्ता **सीए अक्षय गुप्ता** ने Audit Journey from True & fair to True & correct विषय पर बोलते हुए कहा कि ऑडिटर को सावधानीपूर्वक ऑडिट करना चाहिए।

उक्त सत्र को दो भागों में आयोजित किया गया था जिसमें प्रथम सत्र के दौरान फेसलेस आयकर निर्धारण, खोज जब्ती और सर्वेक्षण फेसलेस आयकर निर्धारण, खोज जब्ती और सर्वेक्षण के बारे में बताया गया जिसके चैयरमैन सीए विवेक खन्ना व संचालनकर्ता सीए अखिलेश तिवारी थे।

दिल्ली से आये हुए सत्र के **मुख्य-वक्ता डॉ. गिरीश आहूजा** ने फेसलेस मूल्यांकन (faceless assessment) पर बोलते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जन्मकुंडली आयकर विभाग के पास उपलब्ध है जैसे "कितने बैंक एकाउंटेंस है? किस-किस बैंक एकाउंट्स में कितना-कितना रुपया है? व्यक्ति के कितने फिक्स्ड डिपॉजिट्स है? किसी व्यक्ति ने कितनी बार विदेश यात्राए की है? किसी व्यक्ति की जमीन-जायदाद (property) कितनी और किस जगह पर है? कितनी बार रिटर्न भरा गया है?" इन्ही सब सूचनाओं के आधार पर किसी करदाता को नोटिसेस जारी होते है।

खोज जब्ती और सर्वेक्षण (search seizure & survey) पर बोलते हुए श्री आहूजा ने कहा कि कर विभाग के सर्वे के दौरान यदि करदाता कोइ भी आय सरेंडर करते है तो उस पर 78% की दर से कर देय होगा। सर्वे के दौरान कोई भी आय का सरेंडर नहीं करना चाहिए और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाकर उनकी सहायता लेनी चाहिए। इनकम टैक्स सर्च के दौरान कर निर्धारणकर्ता को बहुत ही सावधानीपूर्वक अपना ब्यान देना चाहिए और यदि संशय हो तो जवाब नहीं देना चाहिए।
सर्च के दौरान सरेंडर करने पर 108% कर लगेगा। सर्च के दौरान किसी भी प्रकार के सभी लिखे हुए पुर्जे व कागजात आदि के विषय में सावधानीपूर्वक जानकारी देनी चाहिए। ज़रा भी संशय होने पर बाद में जानकारी उपलब्ध कराने को कहना चाहिए। अपने व अन्य पारिवारिक सदस्यों के स्वर्ण-आभूषण आदि को घर में या लेकर में रखने पर उसके मालिकाना हक़ का पूरा रिकॉर्ड साथ में रखना चाहिए।

द्वितीय सत्र में इन्सॉल्वेंसी व बैंकरप्सी कोड इन्सॉल्वेंसी व बैंकरप्सी कोड के बारे में बताया गया जिसके **चेयरमैन सीए अभिषेक पांडेय** व **संचालनकर्ता सीए नितेश शुक्ला** थे।
लखनऊ से आये हुए वक्ता **सीएस अमित गुप्ता** ने इन्सॉल्वेंसी व बैंकरप्सी कोड (**insolvency & bankruptcy code)** पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

आयोजित सत्र में सीए महेंद्र नाथ टंडन, डॉ. राजेश मेहरा, सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सीए अमित पांडेय, सीए शशि बाजपेई, सीए शिशिर शुक्ला, सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सीए तरुण गुप्ता, सीए अतुल मेहरोत्रा व मर्चेंट्स चैम्बर के सचिव नाथ मोदी व मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी के सदस्यगण, चार्टर्ड एकाउंटेंट, व्यापारीगण व अन्य पेशेवर व्यक्ति उपस्थित थे।

सधन्यवाद